**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1132**

उत्तर देने की तारीखः 16.12.2013

**मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत साफ-सफाई की जरूरत**

**1132. श्री रामचन्द्र खूंटिआः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल विद्यालयों में मध्याह्न भोजन को साफ और स्वच्छतापूर्वक पकाया और परोसा जाता है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कुल कितने बच्चों को लाभ मिल रहा है; और

(ग) क्या योजना का लाभ निजी स्कूलों को भी दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

**(क) :** मध्याह्न भोजन दिशा-निर्देशों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कम से कम उचित अच्छी औसत गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उठाने, खाद्य सामग्रियों का सूखे और सुरक्षित स्थानों पर भंडारण और समुचित रूप से प्रशिक्षित रसोइया-सह-सहायकों के माध्यम से स्वच्छ वातावरण में खाना पकाने का प्रावधान है। बच्चों को भोजन परोसने से पहले पके हुए भोजन को एक शिक्षक सहित 2-3 प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा चखा जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुल 9.79 लाख रसोइ-सह-भंडारगृह संस्वीकृत किए हैं; इनमें से अब तक राज्यों में 6.26 लाख (64%) रसोइ-सह-भंडारगृहों का निर्माण हो गया है। इसके अतिरिक्त, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) और (ग) : वर्ष 2012-13 के दौरान, 12.12 लाख बच्चों को योजना से लाभ प्राप्त हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों सहित शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्रों के कक्षा-I-VIII तक में पढ़ रहे बच्चे शामिल हैं। अभी गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक इस योजना को लाने का कोई प्रावधान नहीं है।

**\*\*\*\*\***